Print coverage of Uttar Pradesh

Lucknow Samachar

ऊ समाचार लखनऊ, बुधवार 23 मार्च, 2022 4

फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग विषय पर कार्यशाला, स्वस्थ भोजन का चयन उपभोक्ता का अधिकार

राष्ट्रीय सहारा

डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों पर हो चेतावनी, छापे की व्यवस्था

लखनऊ (एसएनबी)। कंज्यूमर गिल्ड व कंज्यूमर वॉयस के तत्वावधान में मंगलवार को डिब्बावंद खाद्य पदार्थ लोगों के लिए कितने हानिकारक हैं, विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वस्थ भोजन का चयन उपभोक्ता का अधिकार है, इसलिए जरूरी है कि डिब्बावंद नुकसानदेह खाद्य और पेय पदार्थों के पैकेट पर फ्रंट ऑफ पैक लेवल के ऊपर स्पष्ट व अनिवार्य चेतावनी छापने की व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होने के बाद लोगों को स्वस्थ्य और सुरक्षित चीजें खरीदने का निर्णय लेने में मदद मिल सकेगी।

कार्यशाला के मुख्य अतिथि डा. शैलेन्द्र प्रताप सिंह सहायक आयुक्त, खाद्य औषधिक प्रशासन ने बताया कि भारत का शीर्ष खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) 2013 से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहा है कि सेहत के लिए नुकसानदेह खाद्य पदार्थों पर सख्त स्वास्थ्य चेतावनी व उपभोक्ता

हितकारी लेबलिंग प्रणाली होनी चाहिये। डा. शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा की उपभोक्ताओं को अपने खान-पान के प्रति जागरूक होना चाहिए और किसी भी प्रकार की मिलावट व शिकायत होने पर खाद्य व औषधि प्रशासन से संपर्क करना चाहिए।

डॉक्टर पीयूष गुप्ता सेक्रेटरी कैंसर ऐड सोसाइटी ने कहा कि वसा नमक या चीनी की अधिकता वाली डिब्बा बंद चीजों पर सिगरेट के पैकेट की तर्ज पर चेतावनी दी जानी चाहिए। इसी तरह एकता पुरोहित, कंज्यूमर वॉयस नई दिल्ली ने कहा कि भारत में एफओपीएल के लिए गहन जागरूकता अभियान की जरूरत है। अब गांवों में भी डिब्बावंद खाद्य पदार्थ लोकप्रिय हो रहे हैं।

रुपय बिल जमा करन क बार बिजली का कनेक्शन पुन: जोड़ दिया गया।

लेकर देश को टीबी मुक्त बनाने

गोष्ठी में विचार व्यक्त करते मुख्य अतिथि डॉ.शैलेन्द्र प्रताप सिंह। फोटो : अमृत विचार

स्वच्छ भोजन का चयन उपभोक्ता का अधिकार विषयक कार्यशाला आयोजित

अमृत विचार,लखनऊ

डिब्बाबंद नुकसानदेह खाद्य और पेय पदार्थों के पैकेट फ्रंट ऑफ पैक लेबल विषय पर मंगलवार को कंज्यूमर गिल्ड द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खाद्य एंव औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह रहे। इस अवसर पर कैंसर ऐड सोसायटी के सेक्रेटरी डॉ. पीयूष गुप्ता, लखनऊ कंज्यूमर गिल्ड के अध्यक्ष अभिषेक श्रीवास्तव और केजीएमयू के सीनियर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव भी मौजूद रहीं। मुख्य अतिथि डॉ शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि भारत का शीर्ष खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 2013 से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श ही कर रहा है।

स्वस्थ भोजन का चयन उपभोक्ता का अधिकार कार्यशाला

स्वतंत्रभारत संवाददाता, लखनऊ। डिब्बाबंद नुकसानदेह खाद्य और पेय पदार्थों के पैकेट पर फ्रंट ऑफ पैक लेबल यानी कि ऊपर की ओर स्पष्ट व अनिवार्य चेतावनी छापने की व्यवस्था होनी चाहिए. इस तरह की व्यवस्था होने के बाद लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित चीजें खरीदने का निर्णय लेने में मदद मिल सकेगी. देश में डायबिटीज समेत सभी गैर संचारी रोगों का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है जो स्वास्थ्य तंत्र पर गंभीर बोझ डाल रहा है.आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में डायबिटीज और हृदय रोग जैसे गैर संक्रामक रोगों से देश में लगभग 60 लाख मौतें हुईं. यह वर्ष की कुल मृत्यु का 62प्रतिशत था. नमक, चीनी और वसा (फैट) की अधिकता वाली खाने-पीने की चीजें इन बीमारियों का एक बड़ा कारण बनती हैं.

जहां कई देश ऐसी व्यवस्था तेजी से लागू कर रहे हैं। यह बात कंज्यूमर गिल्ड लखनऊ व कंज्यूमर वॉयस नई दिल्ली , की ओर से फ्रंट ऑफ़ पैक लेबलिंग विषय पर आई सी सी एम आर टी इन्दिरा नगर लखनऊ में आयोजित कार्यशाला में उपस्थित विशेषज्ञों द्वारा रखी गई। मुख्य अतिथि , डॉ शैलेंद्र प्रताप सिंह, सहायक आयुक्त , खाद्य औषधि प्रशासन ने बताया कि भारत का शीर्ष खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएस एसएआई) 2013 से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श ही कर रहा है। डॉक्टर पीयूष गुप्ता, सेक्रेटरी कैंसर ऐड सोसायटी, ने कहा कि वसा नमक या चीनी की अधिकता वाली पैकेटबंद चीजों पर सिगरेट के पैकेट की तर्ज पर चेतावनी दी जानी चाहि। अभिषेक श्रीवास्तव अध्यक्ष, कंज्यूमर गिल्ड , लखनऊ ने कहा कि डिब्बाबंद खाद्य और पेय पदार्थों पर सामने की ओर चेतावनी व्यवस्था 'एफओपीएल' अपनाने पर विचार कर रहा है। एकता पुरोहित कंज्यूमर वॉयस, नई दिल्ली ने कहा कि भारत में एफओपीएल के लिए एक गहन जागरूकता अभियान शुरू करने कि जरुरत है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में सीनियर डाइटिशियन डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव ने गैर संक्रामक रोगों को कम करने के लिए एफओपीएल व्यवस्था को जरूरी बताया।

फ्रंट ऑफ़ पैक लेबलिंग विषय पर कार्यशाला

लखनऊ। डिब्बाबंद नुकसानदेह खाद्य और पेय पदार्थों के पैकेट पर फ्रंट ऑफ पैक लेबल यानी ऊपर की ओर स्पष्ट व अनिवार्य चेतावनी छापने की व्यवस्था होनी चाहिए इस तरह की व्यवस्था होने के बाद लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित चीजें खरीदने का निर्णय लेने में मदद मिल सकेगी देश में डायबिटीज समेत सभी गैर संचारी रोगों का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है जो स्वास्थ्य तंत्र पर गंभीर बोझ डाल रहा है-आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में डायबिटीज और हृदय रोग जैसे गैर संक्रामक रोगों कपेमेंमेद्ध से देश में लगभग 60 लाख मौतें हुई, यह वर्ष की कुल मृत्यु का 62 प्रतिशत था नमकए चीनी और वसा फैट की अधिकता वाली खाने.पीने की चीजें इन बीमारियों का एक बड़ा कारण बनती हैं। यह बात कंज़्यूमर गिल्ड लखनऊ व कंज्यूमर वॉयस नई दिल्ली की ओर से श्फ़्रंट ऑफ़ पैक लेबलिंग विषय पर आई सी सी एम आर टी इन्दिरा नगर लखनऊ में आयोजित कार्यशाला में उपस्थित विशेषज्ञों द्वारा रखी गई।